कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-13/08/2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्तगण इरशाद आदि 04 नफर को जालसाजी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के कठोर कारावास व कुल- 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 576/2010 धारा- 489(ख), 489(ग), 420, 124ए भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. **अफसर पुत्र स्व0 नन्हे निवासी थाना कोतवाली अलीगढ, 02. इरशाद पुत्र चेगा निवासी- थाना अकराबाद, अलीगढ, 03. सोनू खां पुत्र हामिद खां, 04 गुलशेर अली पुत्र प्यारे खान निवासीगण- थाना मुरसान, हाथरस,** को थाना लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 13/08/2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा- 489(ख) भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 489(ग) भादवि में 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 420 भादवि में 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा 124ए भादवि में 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्धदण्ड दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी